



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1942 (श0)  
(सं0 पटना 916) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 190 दिनांक 25 नवम्बर 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिन्हें बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत निर्दिष्ट तरीके से बीजक तैयार करना हैं, परंतु उन्होने उक्त तरीके के अलावा अन्य तरीके से बीजक तैयार किया है, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो 1 अक्टूबर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 की अवधि के दौरान विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे, उक्त व्यक्ति ऐसे बीजक की तारीख से तीस दिनों के भीतर, सामान्य माल एवं सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर प्ररूप **जीएसटी आईएनवी-01** में निर्दिष्ट विवरण अपलोड करके ऐसे बीजक के लिए एक बीजक संदर्भ संख्या (आईआरएन) प्राप्त करेंगे एवं ऐसा ना करने पर वह बीजक मान्य नहीं माना जाएगा।

(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-11) 2128)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 190, दिनांक 25 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-11) 2128)]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 25<sup>th</sup> November 2020

S.O. 190, Dated 25<sup>th</sup> November 2020— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons required to prepare the tax invoice in the manner specified under sub-rule (4) of rule 48 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, who have prepared tax invoice in a manner other than the said manner, as the class of persons who shall, during the period from the 1<sup>st</sup> day of October, 2020 to the 31<sup>st</sup> day of October, 2020, follow the special procedure such that the said persons shall obtain an Invoice Reference Number (IRN) for such invoice by uploading specified particulars in **FORM GST INV-01** on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal, within thirty days from the date of such invoice, failing which the same shall not be treated as an invoice.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-11) 2128)]  
By the order of Governor of Bihar,  
Dr. Pratima,  
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 916-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>